माननीय भारत के प्रधानमंत्री को प्रेषित मुक्त पत्र

दिनांक – 8 नवम्बर, 2006

पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006: संविधान, जनमानस व पर्यावरण विरोधी

इस अधिसूचना द्वारा संवैधानिक प्राविधानों तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किया जा रहा है ।

निरंतर व सशक्त विरोध के मध्य, पर्यावरण व वन मंत्रालय ने 14 सितम्बर, 2006 को नई पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना प्रकाशित की। यह नई अधिसूचना वर्ष 1994 से क्रियान्वित पुरानी अधिसूचना का स्थान लेती है। अधिसूचना के प्रारूप के प्रकाशित होने के पूर्व ही, इसके प्रस्तावित विषय व प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न जन समुदायिक संगठनों, जन अभियानों, शिक्षाविदों वे शोधार्थीयों द्वार सशक्त आलोचना व विरोध प्रकट किया गया।

पर्यावरण व वन मंत्रालय की पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया, देश में प्रस्तावित विकास गतिविधियों का पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव समझने का एकमात्र साधन है। इस प्रक्रिया का प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना द्वारा होता है। वर्ष 2004 से, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा आपके कार्यालय तथा पर्यावरण व वन मंत्रालय को पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में निहित महत्वपूर्ण कमियों को इंगित करते हुए, पत्र प्रेषित किए गए। परंतु हम बहुत निराश है, कि इनमें से एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया गया।

कई संसद सदस्यों (जिनमें CPI(M), CPI, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक, AIADMK तथा PMK सम्मिलित हैं) ने भी 2006 अधिसूचना के प्रारूपण व निर्धारण में, पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त अपारदर्शी तथा परामर्श विहीन प्रक्रिया पर हमारी चिन्ताओं का समर्थन किया है।

पर उपरोक्त सभी की पूर्ण व स्पष्ट उपेक्षा करते हुए, पर्यावरण व वन मंत्रालय ने 14 सितम्बर, 2006 को नई पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना प्रकाशित कर दी। यह कार्यवाही, पर्यावरणीय न्याय अभियान – भारत के प्रतिनिधियों को दिए गए माननीय पर्यावरण व वन मंत्री श्री ए .राजा के उस आश्वासन के बाद की गई, जिसमें उन्होंने परामर्श प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय से वार्ता करने के दिए दिया था।

इसका परिणाम स्पष्ट है, कि 2005 की प्रारूपित अधिसूचना के 1994 पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना के विवादस्पद विषयों हेतु प्रस्तावित बदलावों को नई अधिसूचना में कोई महत्व नहीं दिया गया है। नई अधिसूचना स्पष्टत: जन मानस व पर्यावरण विरोधी है, तथा उन संवैधानिक प्राविधानों व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करती है, जिनके अधीन यह प्रकाशित की गई है।

<u>पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना, 2006, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 के विरूद्ध है-</u>

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधिन प्रकाशित, नई पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना, 2006 पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को निवेशीय प्राथमिकताओं से बदलती है, तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्देशों का भी उल्लंघन करती है, जिसके अधीन यह प्रकाशित हुई है। पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना, 2006 निवेश सुधार हेतु गोविंदराजन समिति की संस्तुतियों पर आधारित है। इस पर पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रियाओं के पुन: निर्धारण हेतु सलाहकार अध्ययन (म्ड अध्ययन) का भी प्रभाव है, जिसे विश्व बैंक की मदद से चलाए जा रहे पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। गोविंदराजन समिति की रिपोर्ट द्वारा निवेश हेतु आवेदनों के तुरंत निस्तारण को सुनिश्चित किया गया था। इस समिति ने पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में पहचान करने हेतु एक विस्तृत विवरण था। इन्हीं आर्थिक व निवेशीय प्राथमिकताओं के कारण ही पर्यावरणीय अनुमति व्यवस्थाओं में संशोधन स्वीकृति किए गए।

<u>पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006 के प्रारूपण में अपनाई गई अप्रजातांत्रिक व पक्षपाती प्रक्रिया</u>

नई अधिसूचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंता इसके प्रारूपण की प्रक्रिया के विषय में ही है। मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अधिसूचना प्रारूपण पर परमार्श मात्र उद्योग जगत व केन्द्र सरकार की एजेंसियों के प्रतिनिधियों से ही लिया गया। पंचायतों व नगरपालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों, व्यापार संगठनों तथा स्थानीय समुदायिक दलों को इस प्रक्रिया से पूर्णतया अलग रखा गया। पुनः प्रारूपण के पश्चात पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना, 2006 को जन टिप्पणीयों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया। परंतु सितम्बर माह में अन्तिम अधिसूचना के पूर्व, इस नए प्रारूप पर जनसंगठनों के साथ वार्ता नहीं की गयी। पर्यावरण नियंत्रण के प्रस्तावित रूप के लिए मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के प्रति यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अधिसूचना की विषय वस्तु में स्पष्टतया प्रदर्शित होता है। मंत्रालय द्वारा यह माना गया है, कि उच्चतर औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक तथा संशोधित प्रारूपित अधिसूचना को उनके साथ बांटना प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार किया गया। इसके अतिरिक्त, नई अधिसूचना में विकास परियोजनाओं जैसे पर्यटन आदि को पर्यावरणीय संघात आंकलन की परिधि से बाहर रखा गया है। नियंत्रित क्षेत्र के प्रति दिखाए जा रहे इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से हमें गहरा आघात लगा है।

यह संशोधन, 73 rd व 74 th संवैधानिक संशोधनों के संवैधानिक आदेशों की उपेक्षा करते हैं

समय के साथ, पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना को स्थानीय निकायों तक पहुँच जाना चाहिए था तथा फलस्वरूप पर्यावरणीय नियामक प्रक्रिया में इन शासन की विकेन्द्रित प्रणालियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी थी। यद्यपि संविधान के 11 व 12 अनुसूची में पर्यावरणीय शासन के अनेकों पहलूओं जैसे स्वास्थ्य, समुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था, पेयजल, कृषि, गरीबी उन्मूलन, भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण व परिस्थितिक परिवेशों को बढ़ावा, योजना आदि नगरपालिका व पंचायती राज संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आते है, यह संशोधन इन शक्तियों के स्त्रोत की पूर्णतः उपेक्षा कर देता है। इस अधिसूचना का क्रियान्वयन किया जा चुका है, परंतु इसके क्रियान्वयन के लिए कोई भी आवश्यक मार्गदर्शिका व संस्थाएँ व्यवस्थित नहीं है। राज्य पर्यावरण संघात आंकलन प्राधिकरण की स्थापना भी अभी होनी हैं। इसी प्रकार श्रेणी B2 में चिन्हित किए जाने वाली परियोजनाओं,

जिनको अधिसूचना में उल्लेखित प्रक्रियाओं से छूट प्राप्त है, के संबंध में मार्गदर्शिकाओं व निर्देशों का प्रारूपण नहीं हुआ हैं ।

पर्यावरण व वन मंत्रालय ने आकुलता से एक ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है, जिसके व्यापक प्रभाव होंगे। यह सभी विस्तृत प्रभाव इसके प्रभावी क्रियान्वयवन को असंभव कर देंगे, तथा पर्यावरण व विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के हितों के विरोधी होंगे।

विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया को महत्वहीन करने के इस व्यवस्थित प्रयास का जनसामाजिक व समुदायिक संगठनों द्वारा विरोध किया जाएगा।

जैसे कि आपको विदित होगा, विकास परियोजनाओं से उत्सर्जित दरिद्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ व उडीसा में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अगर इन विरोध प्रदर्शनों के मूल कारण के संदर्भ में, सरकार द्वारा कोई व्यवस्थित कदम नहीं उठाया गया, तो यह उसके अपने उत्तरदायित्व से विमुख होने के समतुल्य होगा।

इस पत्र के साथ, पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006 के मुख्य विषय वस्तु को चिन्हित करते हुए, टिप्पणी संलग्न है। हमारी आपसे अपील है कि इस अधिसूचना को निरस्त किया जाए, तथा इसके विकल्प के लिए व्यापक विचार विमर्श प्रारंभ किया जाए। किसी भी नई अधिसूचना का उद्देश्य व केन्द्रबिन्दु, कठिन संघात आंकलन प्रक्रियाओं, अधिक पारदर्शिता, तथा व्यापक समुदायिक सहभागिता के साथ पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया को सशक्त बनाने का होना चाहिए। इस प्रक्रिया को प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ स्थानीय प्रजातांत्रिक निकायों की भूमिका को भी स्पष्टत: चिन्हित करना चाहिए।

धन्यवाद

भवदीय

1. आरती श्रीधर, शोधार्थी, बैंगलोर।

2. अजीत, सचिव, KDP, त्रिवेंद्रम।

3. अमिताभ बेहड़/ मानशी आशर, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, पुणे।

4. आनन्द मजगावंकर, नेशनल एलाएंस फौर पीपुल्स मूवमेन्टस, गुजरात।

5. अर्चना प्रसाद, सेंटर फौर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

6. आशीष फर्नांडीस, ग्रीनपीस।

7. बी.चिटट्मा, समुद्रम, कटूर, छत्रपुर, गंजम, उडीसा।

8. बालाचंद्रम रामचन्द्र, सैन फ्रांसिस्को तट क्षेत्र, अमेरिका।

9. भरत जयराज, नागरिक, कन्स्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप, चेन्नई।

10. बिधान चन्द्र सिंह, ग्रीनपीस।

11. सी.उदय शंकर, WASSAN. हैदराबाद।

12. सी.आर.बिजाय, कैम्पेन फॉर सरवाईवल एंड डिगनिटी, तमिलनाडु।

13. जी.श्रीनिवास, पत्रकार,धीमसा समाजिक पत्रिका, विशाखापटट्नम।

14. गौतम कूमार बंदोपाध्याय, नदी घाटी मोर्चा, छत्तीसगढ।

15. गिरी राव,वंसुधरा, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

16. गोपाल कृष्ण, सेंटर फॉर सोशल मेडिसीन एंड कम्यूनिटी हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।

17. गुमान सिंह, नवरचना।

18. हिमांशु ठक्कर, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल, दिल्ली।

19. हिमांशु उपाध्याय , इंटरकल्चरल रिर्सोसिस, नई दिल्ली

20. जानी, गंजम जिला आदिवासी मंच, खालीकोट, गंजम, उड़ीसा

21. के अल्लाया, उड़ीसा परंपरागत मछुआरा संगठन , एस आर्यपाली, छत्रपुर, गंजम

22. कांची कोहली / मंजु मेनन/ दिव्या बदामी, कल्पवृक्ष।

23. कविता कुरुगांटी, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद।

24. किसान मेथा, मुंबई बचाओ समिति, मुंबई।

25. कृष्णा श्रीनिवासन, इकोनेट, पुणे।

26. कुलभूषण उपमन्यु, नवरचना, पालमपुर, हेल्थ पोस्ट।

27. लता अनाथा, चलाकुडी पुज्हा संरक्षण समिति।

28. मधुपिता दत्ता, कॉरपोरेट एकांउटबिलीटी डेस्क, द अदर मीडिया।

29. महुरेश कुमार, CACIM, नई दिल्ली।

30. महेश पंडया, पर्यावरण मित्र।

31. मंगराज पंडा, उड़ीसा, मैरीन रिर्सोस कन्सरवेशन कॉन्सारटियम, उडीसा।

32. मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओं आंदोलन।

33. नित्यानंद जयरमन, स्वमंत्र पत्रकार, चेन्नई।

34. पी.ई उषा, अगाली, अट्टापडी, पलक्कड, केरल।

35. प्रिया साल्वी, प्रकृति

36. प्रकाश भण्डारी, लोक विज्ञान केन्द्र, पालमपुर हेल्थ पोस्ट

37. राहुल सक्सेना, लोक विज्ञान केन्द्र।

38. राजन राबर्ट, PUCL, केरल

39. राजेश रामाकृष्णन, TARV।

40. रामास्वामी आर. अय्यर।

41. रमेश अग्रवाल/ राजेश त्रिपाठी, जनचेतना, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

42. रतन लालकाका, माथेरान बचाओ समिति।

43. रतन चंद, हिमालय बचाओ समिति, चम्बा, हेल्थ पोस्ट

44. रोहित जैन, श्रुति

45. रोहित प्रजाति/ शिवानी पटेल/ कृष्णकांत चौहान, पर्यावरण सरुक्षा समिति

46. एस. फैजी, पास्थितिकी विशेषज्ञ, त्रिवेन्द्रम

47. एस.आर.हिरेमाथ, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय समिति, धारवाड़, कर्नाटक

48. समीर मेहता, बॉम्बे एन्वाइरनमेंट एक्शन ग्रुप।

49. सीमांचल नाहक, रूशिकुलया रायत महासभा, छत्रपुर, गंजम, उड़ीमा

50. स्मितु कोठारी, इन्टरकल्चरल रिर्सोसिस, नई दिल्ली

51. सौमित्र घोष, NESPON।

52. स्वाती देसाई, माईकल मज़गांवकर, मोज़डा कलकटिव।

53. सैयद लियाकत, EQUATIONS, बैंगलोर।

54. टी.एस. एस मनि, मानवाधिकार, तमिलनाडु अध्याय

55. उमेन्द्र दत्त, खेत विरासत मिशन, पंजाब

56. उषा, थानल, त्रिवेंद्रम

57. उमेष वर्मा, रामाना, हैराबाद।

58. विमल भाई, माटू जन संगठन।

प्रतिलिपि

1. श्री प्रोदीप्तो घोष, सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय

2. समस्त सदस्य, अधीनस्थ विधान हेतु संसदीय समिति, राज्य सभा

3. समस्त सदस्य, अधीनस्थ विधान हेतु संसदीय समिति, लोक सभा

पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना, 2006 के विषय संबंधी कमियों पर टिप्पणी

यह टिप्पणी पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006, के मुख्य व महत्त्वपूर्ण चिन्ताओं को प्रदर्शित करती है, तथा इसको दिनांक 2 नवम्बर, 2006 को प्रधानमंत्री को लिखे गए मुक्त पत्र में उठाई गई चिन्ताओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. **पर्यावरणीय संघात आंकलन से अत्यधिक क्षमता व प्रभावशाली परियोजनाओं को छूट**

नई अधिसूचना से यह स्पष्टत: विदित है, कि निर्माण परियोजनाओं को विशेष छूट प्रदान की गई है, जिसके कारण अब उन्हें निरीक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें जन परामर्श प्रक्रिया से गुजरने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अत: अधिसूचना में इस श्रेणी का औचित्य मात्र आवरण व श्रृंगार तक ही सीमित है। कई भवन व निर्माण परियोजनाओं, उदाहरणार्थ दिल्ली में निर्मित वंसत कुंज मॉल, जिनका निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से कम है, को इस अधिसूचना से छूट प्राप्त है । इस प्रकार की कई अत्यधिक प्रभाव वाली परियोजनाएं, शहरों व नगरों में निर्माणाधीन है, जिनके सामाजिक व पर्यावरणीय दुष्प्रभाव अभी से परिलक्षित होने लगे हैं।

2. **<u>प्रारंभिक चयन के समय आवेदन पत्र के आधार पर परियोजनाओं को छूट</u>**

2006 अधिसूचना में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया का उद्देश्य, मूलतः श्रेणी B की परियोजनाओं जिनका प्रमाणन SEIAA द्वारा किया जाता है, का निर्धारण करना है। परियोजनाओं की प्रमाणन श्रेणी (BI अथवा B2, जिसके आधार पर उनके आंकलन की आवश्यकता) का निर्धारण, आवेदक द्वारा इन आवेदन पत्रों (फार्म 1 अथवा फार्म 1A, निर्माण परियोजनाओं के लिए) में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही किया जाता है। आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना किसी भी तरह एक वास्तविक प्रभाव आंकलन सूचना का स्थान नहीं ले सकती है। किसी भी परियोजना, जैसे कि 450mw थर्मल पावर प्लांट को मात्र परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर पर्यावरणीय अनुमति देना किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं है। किसी भी परियोजना के वास्तविक तथा तुलनात्मक अध्ययन हेतु पर्यावरणीय संघात आंकलन एक नितांत आवश्यकता है।

3. **<u>निवेशक द्वारा प्रस्तावित निर्देशों के निर्धारण की अत्यधिक संभावना</u>**

निरीक्षण स्तर (स्तर 2) पर निर्देश मानकों का निर्धारण, पर्यावरणीय संघात आंकलन के लिए, पर्यावरण आंकलन समिति अथवा राज्य पर्यावरण आंकलन समिति द्वारा किया जाता है। पर, अगर विशेषज्ञ समितियां ऐसे निर्देशों का प्रकाशन 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं कर पाती है, तो अधिसूचना में पर्यावरणीय संघात आंकलन अध्ययन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्देश अंतिम निर्देश के रूप में अनुमन्य है। यह गूढ़ अध्ययन की संभावना को और दुर्बल करता है, क्योंकि यह प्राविधान अधिकारियों के ऊपर तुंरत निस्तारण हेतु दबाव डालता है। अतः यह अति संभावित है कि अधिकांश मामलों में निवेशक प्रस्तावित मानक ही अन्तिम रूप में मान लिए जाएं।

4. **<u>जन परामर्श प्रक्रिया सहभागिता की सीमित करती है</u>** -

पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006, की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या जन परामर्श प्रक्रिया (स्तर 3) है। इसमें अत्यधिक कमियां है, तथा यह स्पष्टतः जन सहभागिता को सीमित करती है। अधिसूचना के अनुसार, जन सुनवाई के समय स्थानीय प्रभावित निवासियों को पर्यावरणीय संघात आंकलन रिपोर्ट के प्रारूप की एक

प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों को वह अन्तिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी जिसके आधार पर परियोजना हेतु निर्णय लिया गया है। यह एक पश्चगमन प्रक्रिया है, तथा पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना के 2004 संशोधन के विरुद्ध है जिसमें पूर्ण व अन्तिम EIA रिपोर्ट को नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। EIA अधिसूचना के अस्तित्व के 12 वर्षों में ,परियोजना अधिकारियों द्वारा गलत व अपूर्ण सूचना के आधार पर EIA लेने के अनेक उदाहरण है। पर्यावरण व वन मंत्रालय जहां ऐसी दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ रही है, वहीं उसने इन रिपोर्टों के आधार पर परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है ।

5 <u>जन सुनवाईयों कों रदद व स्थगित करना</u>–

नई अधिसूचना के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर जन सुनवाई को रद्द करने का प्राविधान हैं । इसमें कोई संशय नहीं है कि इस प्राविधान का उपयोग परियोजना प्राधिकारियों तथा नियमक आधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह तथ्य वास्तविक अध्ययन के पश्चात् ही प्रस्तुत किया गया है। यह मुद्दा मंत्रालय को प्रेषित पत्र में भी चिन्हित किया गया था, जिसको सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्राविधान को सम्मिलित करने से, अधिसूचना को गहरा आघात लगा है। यह जनसुनवाई प्रक्रिया को वास्तव में वैकल्पिक संज्ञित करता है, जो वर्तमान तक अनिवार्य व्यवस्था थी।

6 <u>मूल्यांकन स्तर पर जन सहभागिता का अभाव (स्तर 4)</u>:

ऐसी परियोजनाएँ, जिनको पर्यावरणीय संघात आंकलन अध्ययन तथा जनसुनवाई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, उनका मूल्यांकन मात्र आवेदन पत्र पर उपलब्ध कराई गई सूचना तथा वैकल्पिक स्थल भ्रमण के आधार पर किया जाएगा। इस स्तर पर जनसहभागिता का कोई प्राविधान नहीं है। अत: नागरिकों को वह दस्तावेज देखने को नहीं मिलेंगे जिनके आधार पर मूल्यांकन समितियों ने अनुमति की संस्तुति की है। गत 12 वर्षो से नागरिकों द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही तथा मूल्यांकन स्तर पर सहभागिता की मांग की जाती रही है। पर्यावरणीय संघात आंकलन के साथ छेड़खानी, तथा अपूर्ण सूचना के आधार पर अनुमति दिए जाने के स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह व्यवस्था अपने वर्तमान रूप मे क्रियान्वित होती रहेगी। इस स्तर

पर पारदर्शिता की निरंतर तथा बदतर होती स्थिति, वास्तविक अनुभवों व पर्यावरण नियमन प्रक्रिया के आधार पर की जाने वाली मांगों की स्पष्ट अवहेलना है।

7 निरीक्षण व अनुपालन

पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया के अनिवार्य व सबसे सशक्त अंग "निरीक्षण व अनुमालन" को मात्र तीन वाक्यों में कहा गया है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का मात्र उल्लेख किया गया है। पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 1994 में मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण रिपोर्ट बनाया जाना अनिवार्य था। पर नई अधिसूचना में मंत्रालय की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है। स्थानीय सरकारों द्वारा राज्य व केन्द्रिय कानूनों के उल्लघंन तथा अनुमन्य मानकों की अवज्ञा के कारण परियोजना प्राधिकारियों को दोषी भी पाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की अपनी कुछ रिपोर्ट भी इन मानकों की अवज्ञा करती पायी गई है, उदाहरणार्थ सिक्किम में तीस्ता- V पनबिजली परियोजना ।

8 समितियों की संरचना

चयन, निरीक्षण व मूल्यांकन समितियों में सामाजिक वैज्ञानिक, परिस्थितिकी विशेषज्ञ तथा गैर सरकारी संगठन सम्मिलित नहीं हैं। 1994 अधिसूचना के अनुसार, यह सभी दल मूल्यांकन समिति के अंग थे। विशेषज्ञ समितियों की संरचना व कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याओं पर एक मुक्त पत्र मंत्रालय को भेजा गया था, जिनकी प्रतियिां अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उपलब्ध करायी गयी थी। अन्य सभी पत्रों की तरह इस पत्र का भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

9 पर्यावरणीय अनुमति की वैधता

नई अधिसूचना के अनुसार, पनबिजली परियोजनाओं हेतु अनुमति के वैधता 10 वर्ष तथा खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्ष होगी। यह 1994 अधिसूचना की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें यह वैधवा पाँच वर्ष थी। वैधता अवधि को बढ़ाना, परियोजना के प्रभावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि परियोजना पर कार्य, अवधि के समाप्त होने के कुछ समय पूर्व भी प्रारंभ हो सकता है, तथा तब

तक पर्यावरणीय संघात आंकलन अध्ययन माध्यमों (सामाजिक अथवा परिस्थितिक) मे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो सकते है।

10 पर्यावरण अनुमति के हस्तांतरण हेतु कोई सुरक्षा मानक नहीं:

2006 अधिसूचना के पैराग्राफ 11 के अनुसार " किसी विशिष्ट परियोजना अथवा गतिविधि पर आवेदक को प्रदत्त पूर्वानुमति को, वैधता अवधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति, जो आवेदन पत्र पर चिन्हित परियोजना अथवा गतिविधि हेतु कानूनी रूप से अधिकृत हैं अथवा जिसके प्रास हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया "अनापत्ति प्रमाण पत्र" हो, को हस्तांतरित किया जा सकता है"। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की संभावना के कारण, इसकी नितांत आवश्यकता है कि उत्तराधिकारी एक समान व अधिक प्रतिष्ठित हो अथवा (निर्धारित सुरक्षा मानकों के आधार पर) पर्यावरणीय अनुपालन हेतु विश्वसनीय व्यक्ति हो, जो उन परिस्थितियों में सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

11 पर्यावरणीय आँकलन के मूल्य पर शीघ्र अनुमति

पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना 2006 कहती है कि केन्द्र व राज्य मूल्यांकन समितियों अपने मानको व निर्देशों को फार्म 1 की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उपलब्ध कराएगी। अधिसूचना जहां स्पष्टत: हर स्तर (चार स्तर) पर लिए जाने वाली समय सीमा का उल्लेख करती है, वहां पर्यावरणीय संघात आंकलन रिपोर्ट के संकलन में उपयोग किए जाने वाले समय का कोई उल्लेख नहीं है। पर्यावरणीय संघात आंकलन अधिसूचना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता पर महत्व दिया जाता रहा है, तथ वह चिन्ता का भी मुख्य कारण रहा है। मंत्रालय व संबंधित प्राधिकारियों को भी यह समय-समय पर बताया जाता रहा है। EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता के साथ महत्वपूर्ण समझौते किये गए हैं, तथा इन्हें "तत्काल अथवा सिंगल सीजन EIA रिपोर्ट" कहा जाता था। नई अधिसूचना द्वारा निदेर्शों के दिए जाने तथा कम से कम चार मासीय EIA रिपोर्ट के मध्य प्रयुक्त की जाने वाली आवश्यक समय अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए था।